मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 9-6/2014/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2014

प्रति,

जिला कोषालय अधिकारी,
भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर
उज्जैन/सागर/रीवा,
मध्यप्रदेश.

विषय.—संभाग मुख्यालय स्थित जिला कोषालयों द्वारा मासिक पेंशन भुगतान व्यवस्था में परिवर्तन

संदर्भ.—संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल का पत्र क्रमांक सं. पे./2010/58, दिनांक 6-1-2010 तथा अन्य पत्र क्रमांक-सं.पे./क.क.मंडल/पांच/1531, दिनांक 20-8-2010.

उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 6-1-2010 द्वारा जिला कोषालय भोपाल तथा पत्र दिनांक 20-8-2010 द्वारा जिला कोषालय इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/उज्जैन/सागर/रीवा से मासिक पेंशन भुगतान के आदेश जारी किये गये थे.

2. कोषालय से मासिक पेंशन भुगतान की उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशनरों के निवास स्थान से कोषालय की दूरी अधिक होने के कारण जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, क्रेडिट की जानकारी एवं आयकर कटौत्रा फार्म-16 प्राप्त करने तथा स्वविवरणी प्रस्तुत करने में कठिनाई की ओर पेंशनरों के विभिन्न संगठनों ने ध्यान आकर्षित किया है. यह भी अनुरोध किया गया है कि पेंशनरों के मासिक भुगतान पुनः बैंक के माध्यम से किये जायें ताकि पेंशर को अपने निवास के नजदीक बैंक से संपर्क करने में कठिनाई न हो.

3(i) पेंशनर संगठनों के उक्त अनुरोध पर विचार करते हुये निर्णय लिया गया है कि संभाग मुख्यालय स्थित जिला कोषालय अधिकारी नवम्बर, 2014 की मासिक पेंशन जो कि दिसम्बर, 2014 में देय है, का भुगतान करने के पश्चात् दिसम्बर, 2014 की मासिक पेंशन जो कि जनवरी, 2015 में देय है, के भुगतान हेतु पेंशन प्राधिकार संबंधित बैंक को प्रेषित करेंगे. उक्त परिवर्तित व्यवस्था आगामी माहों में भी लागू होगी.

3(ii) 01 दिसम्बर 2014 के पूर्व एवं पश्चात् जारी पी. पी. ओ. का प्रथम भुगतान (मय पेंशन एरियर के) करने के पश्चात् कोषालय अधिकारी पी. पी. ओ. को मासिक पेंशन भुगतान हेतु बैंक को हस्तांतरित करेगा.

हस्ता./-
(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.